सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण, 1938 (श॰)

संख्या 26 राँची, बुधवार

10 अगस्त, 2016 (ई॰)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 304-397 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि०सं०-34/2016 का०-6531-- श्री सैयद सलीम फातमी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XII,धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री फातमी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

9 अगस्त, 2016

संख्या- 3/नि०सं०-09-21/2015 का. 6872-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अधिकरण, जामताड़ा को दिनांक 1 फरवरी, 2016 से 15 फरवरी, 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230, एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-35/2016 का०- 6507-- श्री रमाशंकर सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-I, कोडरमा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 30 जुलाई, 2015 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-36/2016 का०-6508-- श्री गुलाम हैदर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XVIII, धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री हैदर की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-37/2016 का०- 6509-- श्री संजय प्रताप, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II, गोड्डा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री प्रताप की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-39/2016 का०-6515-- श्री संजय कुमार सिंह नं०-II, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VII, देवघर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-50/2016 का०- 6517-- श्री संतोष कुमार नं०-II, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-V, चतरा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या.13/वरीय नि० सं०.49/2016 का०- 6518-- श्री उत्तम आनन्द, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- VIII, पलामू, डाल्टनगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम.7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री आनन्द की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-45/2016 का०- 6519-- श्री कमलेश कुमार शुक्ला, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VII, गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री शुक्ला की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-47/2016 का०- 6521-- श्री सुभाष, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-V, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री सुभाष की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि0 सं०-32/2016 का०- 6524--श्री राजीव रंजन, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II, राजमहल, साहेबगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री रंजन की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-48/2016 का०- 6525--श्री आनन्द प्रकाश, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-III, गोड्डा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री प्रकाश की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि0 सं०-42/2016 का०- 6526--श्री गोपाल पाण्डेय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VI, देवघर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री पाण्डेय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-33/2016 का0 6527--श्री ओम प्रकाश, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II, रामगढ़ को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री ओम प्रकाश की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-41/2016 का०- 6528--श्री पवन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-III, दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 08 अप्रैल, 2016 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-40/2016 का0- 6529--श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-IV, दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 08 अप्रैल, 2016 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-44/2016 का०- 6530--श्री रवि रंजन, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-V, देवघर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री रंजन की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 08 अप्रैल, 2016 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

26 जुलाई, 2016

संख्या-3/नि०सं०-09-07/2015 का. 6418--श्री रवि रंजन मिश्र, झा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड राँची को दिनांक 10 जून, 2016 से 20 जून, 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

एच०के०सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 जून, 2016

संख्या-3/नि०सं०-09-03/2015 का. 5199--श्री अनिल कुमार पोद्दार, झा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 16 मई, 2016 से 26 मई, 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

27 जून, 2016

संख्या-1/विविध-835/2014 का०- 5494-- श्री संत कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (झाः2001), विशेष सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत आपको पूर्व में स्वीकृत दिनांक 2 सितम्बर, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक कुल 29 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के क्रम में दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 से 30 नवम्बर, 2015 तक कुल 61 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 से 31 जुलाई, 2016 तक कुल 244 दिनों की अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति दी जाती है ।

2. यह स्वीकृति The AIS (Leave) Rules, 1955 के नियम-32 के प्रावधानों के अनुरूप दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

14 जुलाई, 2016

संख्या-4/नि०सं०-12-30/2014 का. 5929--श्री किस्टो कुमार बेसरा, झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेड़ो, राँची को दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 से 19 जनवरी, 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

20 जुलाई, 2016

संख्या-4/नि० सं०-12-53/2015 का.- 6243-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती सविता टोपनो, कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार के द्वारा उपभोग किये गये अवकाश दिनांक 7 अप्रैल, 2016 से 1 मई, 2016 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 जून, 2016

संख्या- 4/नि0सं0-12-67/2014 का. 4932-- श्रीमती रंजीता टोप्पो, झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद, गिरिडीह को दिनांक 21 अगस्त, 2015 से 10 सितम्बर, 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016 ई० |

संख्या-वि०स०वि०-24/2016-2929 वि०स०--निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक:- 28 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ,झारखण्ड विधा-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है |

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा,राँची |

(वि०स०वि०-14/2016)

झारखण्ड वित्त विधेयक, 2016

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम 1948 झारखण्ड राज्य में यथा लागू) में संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम. प्रसार एवं प्रारंभ:- 1. यह अधिनियम ''झारखण्ड वित्त अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा ।

2. इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3. यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत होगा ।

खण्ड ''क''

4. भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 3 के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिनियम की अनुसूची 1 ''क'' झारखण्ड राज्य के निमित्त निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी ।

अनुसूची 1 'क' लिखतों पर स्टाम्प शुल्क

(देखिये धारा- 3, प्रथम परन्तुक)

संख्या	लिखतों का विवरण	उचित स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	अभिस्वीकृति, किसी ऋण की रकम या मूल्य में एक सौ रूपये से अधिक की, जो ऋणी द्वारा उसकी ओर से किसी बही में (जो बकाए की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य के निमित लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो । परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का, अनुबंध अन्तर्विष्ट नहीं है।	रू॰ 10/- (दस रूपये)
2.	प्रशासन-बंधपत्र, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) की धारा 291, 375 तथा 376 या गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का V) के अधीन दिये गये किसी बंध-पत्र को सम्मिलित करते हुए।	बंध पत्र (सं॰ 15) की तरह।

3.	दत्तक विलेख, अर्थात् कोई लिखत (वसीयतनामा से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है ।	रू० 2000/- (दो हजार रूपये)।
4.	शपथ-पत्र, उन प्रतिज्ञान या घोषणा को लगाकर जिसके मामले में विधिनुसार कोई व्यक्ति शपथ लेने की बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है । छूटें :- शपथ पत्र या लिखत रूप में घोषणा जबकि वह-	रू० 20/- (बीस रूपये)
	(क) इंडियन आर्मी ऐक्ट, 1911 (या इंडियन एयर फोर्स ऐक्ट, 1932) के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त्त के रूप में हो,	
	(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन मात्र के लिए, किया गया हो ।	
5.	समझौता/ करार या समझौता/ करार का ज्ञाप :-	
	(क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित हो ।	(क) 0.01% किन्तु रू॰ 10 (दस रूपये) से कम नहीं ।
	(ख) यदि निगमित कंपनी अथवा अन्य निकाय में किसी सरकारी प्रतिभूति या शेयर के विक्रय से संबंधित हो ।	(ख) 0.01% किन्तु न्यूनतम रू॰10 (दस रूपये) एवं अधिकतम रू॰ 1,000 (एक हजार रूपये) ।

	(ग) किसी निगमित कंपनी अथवा निगमित निकाय में शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंध-पत्र, ऋण-पत्र, डिबेंचर-स्टॉक अथवा इसी प्रकार के किसी विपण्य प्रतिभूति के खरीद या बिक्री से संबंधित ।	(ग) प्रतिभूति के खरीद-बिक्री के समय इसके मूल्य का 0.01% किन्तु रू॰ 10 (दस रूपये) से कम न हो ।
	(घ) किसी प्रवर्त्तक अथवा डेवलपर, जिस नाम से भी जाना जाय] को किसी अचल सम्पति पर/के निर्माण, विकास-कार्य, विक्रय या निवर्तन जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 अथवा इस उद्देश्य से सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो प्रभावी हो, में परिकल्पित है, के अधिकार प्रदान करने से संबंधित।	(घ) डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सन्निहित भूमि के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो एवं जो प्रचलित व्यवसायिक मूल्य पर परिगणित किया गया हो का 2.5% (दो दशमलव पाँच प्रतिशत)
	(ड.) किसी अचल सम्पति के खरीद या बिक्री के समझौता से संबंधित दस्तावेज जिसमें उक्त सम्पति का दखल/कब्जा नहीं दिया गया हो एवं :- (i) जब बयाना/अग्रिम/आंशिक भुगतान दो लाख से अधिक न हो । (ii) जब बयाना/अग्रिम/आंशिक भुगतान दो लाख से अधिक हो ।	(i) रू॰ 1,000 (एक हजार रूपये) (ii) अग्रिम राशि का 0.5 % रू॰।

	(च) खरीद या बिक्री या पट्टा से संबंधित समझौता जिसमें सम्पति का दखल/कब्जा दिया गया हो अथवा दिए जाने की सहमति दी गई हो। <u>व्याख्या- 1</u> उप-वाक्यांश (ड) एवं 'च' के उद्देश्य से झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम 2011 अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में यथा परिभाषित फ्लैट, अपार्टमेंट, टेनेमेंट (वास गृह), ब्लॉक या कोई अन्य यूनिट जिस नाम से भी जाना जाय, अचल सम्पत्ति में सम्मिलित होगा। **<u>व्याख्या- 2</u>** अनुच्छेद (घ) के उद्देश्य से बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट का तात्पर्य होगा एवं इसमें सम्मिलित होगें बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में परिभाषित किया गया है।	(च) वहीं शुल्क जो प्रतिफल अथवा सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर कनवेयांस (संख्या-23) की तरह ।
	(छ) यदि पथकर अथवा शुल्क वसूली के अधिकार सहित अथवा रहित निर्माण-परिचालन एवं अंतरण पद्धति के अंतर्गत किसी परियोजना से संबंधित हो और जहाँ संविदा का मूल्य एक लाख से अधिक हो	(छ) 0.1% किन्तु रू॰ 500000/- (पाँच लाख रूपये) से अधिक न हो तथा कम से कम रू॰ 100/- (एक सौ रूपये)।

	(ज) यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा विनिर्दिष्ट पालन, जहां संविदा का मूल्य 1,00000/- रू0 से अधिक हो, से संबंधित हो ।	(ज) 0.25% किन्तु रू. 10,00000/- (दस लाख रूपये) से अधिक न हो तथा कम से कम रू. 250 (दो सौ पचास रूपये)।
	(झ) अन्य मामलों में ।	(झ) रू.100/- (एक सौ रूपये) ।
6.	हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम, गिरवी या रेहन से संबंधित करार अर्थात निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत :-	
	जंगम सम्पति का पण्यम या गिरवी जहां कि ऐसा निक्षेप पण्यम या गिरवी उधार में अग्रिम दिये गए या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान में या भावी ऋण के चुकाएँ जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है । (i) यदि ऐसा उधार या ऋण की मांग पर या कर को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन माह की अवधि के बाद वापसी भुगतेय है ।	(प) प्रतिभूति राशि का 0.5% अधिकतम रू. 2,00,000/- (दो लाख रूपये)।
	(ii) यदि ऐसा उधार या ऋण की जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर भुगतेय है ।	खण्ड (i) के अंतर्गत भुगतेय शुल्क का आधा ।

	स्पष्टीकरण :- (किसी न्यायादेश, डिक्री, किसी न्यायालय के आदेश, या किसी प्राधिकारी के आदेश से भिन्न बात के अंतर्विष्ट होने पर भी) इस अनुच्छेद के खण्ड (क) प्रयोजनार्थ हक विलेख के निक्षेप से संबंधित नोट, ज्ञापन या वर्णन जो हक-विलेखों के निक्षेप के पूर्व या किसी भी समय जब या बाद में हक-विलेख प्रभावित हो तथा जो प्रथम ऋण या किसी अतिरिक्त ऋण या पश्चातवर्ती लिए गए ऋणों के संबंध में हो, ऐसा पत्र, नोट, ज्ञापन अथवा वर्णन ऐसे हक के प्रति निक्षेप से संबंधित किसी पृथक अथवा करार के ज्ञापन के अभाव में हक विलेखों के प्रति निक्षेप से संबंधित करार पत्र को साक्ष्यित करने वाला लिखत समझा जायेगा।	
	(i) विनिमय पत्र के साथ गिरवी पत्र।	
7.	किसी शक्ति के निष्पादनार्थ नियुक्ति	
	(क) चाहे वह न्यासियों की हो या	(क) रू० 250/- (दो सौ पचास रूपये)।
	(ख) जंगम या स्थावर सम्पत्तियों की हो जब वह वसीयत से भिन्न रूप से लिखित हो	(ख) रू० 500/- (पाँच सौ रूपये)।
8.	आंकना या मूल्यांकन- जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन से अन्यथा किया गया होः-	
	आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी केलिए किया गया हो और जो, या तो करार या विधि के प्रवर्त्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से बाध्यकारी नहीं हो-	रू॰ 200/- (दो सौ रूपये) ।

9.	शिक्षुता विलेख, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा लेख सम्मिलित है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया हो । छुट :- शिक्षुता लिखत, जो एप्रेंटिसेज ऐक्ट, 1850 (1850 की संख्या 19) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया गया हो या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोकपूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया हो ।	रू॰ 100/- (एक सौ रूपये)।
10.	कंपनी का संगम- अनुच्छेद- (क) जहां कम्पनी का कोई हिस्सा पूंजी नहीं हो-	(क) रू॰ 1500 (पंद्रह सौ रूपये)।
	(ख) जंहा कम्पनी को सांकेतिक हिस्सा पूंजी हो या हिस्सा पूंजी बढ़ाई गई हो। इसके द्वारा हिस्सा पूंजी बढ़ाया जा रहा हो ।	(ख) ऐसे हिस्सा पूंजी का 0.15% (प्रतिशत) (न्यूनतम रू॰ 1000 (एक हजार रूपये) तथा अधिकतम रू॰ 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) ।
	छूट :- ऐसे संगम के अनुच्छेद, जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया हो और जो इंडियन कम्पनीज एक्ट, 2013 के अधीन निबंधित किया गया है ।	

11.	प्रशिक्षु नियमावली या संविदा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अटर्नी के रूप में प्रवेश के उद्देश्य से प्रथमतया एक लिपिक के रूप में कार्य करने को आबद्ध हो ।	रू॰1,000/- (एक हजार रूपये)
12.	पंचाट- अर्थात किसी वाद के अनुक्रम में, न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है ।	
	(क) जहां पंचाट मौद्रिक रूप में परिगणित हो ।	(क) अधिनिर्मित सम्पत्ति के मूल्य का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) (न्यूनतम दस रूपया)
	(ख) जहां पंचाट मौद्रिक रूप से परिगणित नहीं किया जा सकता हो ।	(ख) रू० 500/- (पाँच सौ रूपये)।
15.	बंध पत्र (जैसा धारा 2 (5) द्वारा परिभाषित किया गया है) जो डिवेंचर (सं0 27) नहीं है और जो इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है । छूटें :-	बंध पत्र के मूल्य का 3% परन्तु कि यदि ऐसे बंध पत्र द्वारा सम्पति

	बंधपत्र जबकि वह किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गये निजी चंदों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय मासिक आय किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ।	हस्तांतरित हो तो कनवेंयस (सं॰-23) की तरह ।
17.	रद्द कर देने की लिखत, (पूर्व में निष्पादित की गई किसी लिखत को रद्द करने वाली लिखत सहित) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है ।	रू॰ 500/- (पांच सौ रूपये) ।
18.	विक्रय प्रमाण-पत्र (अलग लॉट मे नीलाम पर चढ़ाई और बेची गई प्रत्येक सम्पति के संबंध में) अथवा लोक नीलाम के अनुसरण में विक्रय(पत्र) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपत्ति के क्रेता के पक्ष में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व पदाधिकारी या विधि अंतर्गत् कोई अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अथवा निष्पादित किया गया हो ।	क्रय धन का 50% (पाँच प्रतिशत)
20.	भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो ।	रू॰ 100/- (एक सौ रूपये) ।

22.	प्रशमन विलेख, अर्थात किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी सम्पत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन धन या लाभांश का संदाय लेनदारों के प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है ।	रू॰ 250 (दो सौ पचास रूपये)।
23.	हस्तांतरण-पत्र (धारा 2 (10) द्वारा यथा परिभाषित) जो ऐसा अंतरण नहीं है जो संख्या 62 के अधीन प्रभारित या मुक्त हो-	लिखत में वर्णित प्रतिफल या उसके मूल्य या सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो का शहरी क्षेत्र में 6% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4%
24.	प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।	रू॰ 20 (बीस रूपये)

	छूट :- किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित हो कि वह किसी लोक कार्यालय या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त, अभिलेखार्थ उसे बनाए या दे ।	
25.	किसी लिखत का प्रतिलेख या द्वितीयक, जो शुल्क से प्रभार्य हो और जिसके संबंध में उचित शुल्क चुका दिया गया हो ।	
	(क) यदि वह शुल्क, जो मूल लिखित पर प्रभार्य है, रू॰ 1000/- (एक हजार रूपये) से अधिक नहीं है ।	(क) रू॰ 50 (पचास रूपये)।
	(ख) किसी अन्य मामले में ।	(ख) रू॰ 100 (एक सौ रूपये)।
	छूट :- कृषकों को दिए गये किसी पट्टे का प्रतिलेख जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से विमुक्त हो ।	
26.	सीमा शुल्क बंध-पत्र	
	(क) जहाँ रकम रू॰ 5000 (पांच हजार रूपये) से अनाधिक हो।	(क) रू॰ 100 (एक सौ रूपये)

	(ख) जहाँ रकम रू॰ 5000 (पांच हजार रूपये) से अधिक किन्तु 10,000 (दस हजार रूपये) से अनाधिक हो ।	(ख) रू॰ 200 (दो रूपये)।
	(ग) जहाँ रकम रू॰ 10,000 (दस हजार रूपये) से अधिक हो -	(ग) रू॰ 300 (तीन सौ रूपये)।
27.	डिबेंचर (चाहे वह बंधक डिबेंचर हो या नहीं) विपण्य प्रतिभूति होते हुए जो- पृष्ठांकन द्वारा या अंतरण की पृथक् लिखत द्वारा, अथवा परिदान द्वारा अंतरणीय है,	डिबेंचर की राशि अथवा मूल्य जैसा कि लिखत में वर्णित हो का 0.75% (शून्य दशमलव सात पांच प्रतिशत) (न्यूनतम दस रूपये)।
	स्पष्टीकरण :- "डिबेंचर शब्द में, उससे संलग्न ब्याज कूपन सम्मिलित है किन्तु ऐसे कूपनों की रकम, शुल्क के आकलन में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।	

	छूट :- ऐसा डिबेंचर जिसे किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय ने ऐसा रजिस्ट्रीकृत बंधक विलेख के निबंधतानुसार निर्गमित किया है, उन डिबेंचरों की, जो उसके अधीन निर्गमित किए जाने हैं, पूरी रकम की बाबत सम्यक रूप से मुद्रांकित है, और जिसके द्वारा उधार लेने वाली कम्पनी या निकाय, अपनी संपत्ति पूर्णतः या अंशतः डिबेंचरधारियों के फायदे के लिए न्यासियों के हवाले करता है । परन्तु इस प्रकार निर्गमित डिबेंचरों की बावत यह अभिव्यक्त किया गया हो कि वे उक्त बंधक विलेख के निबंधनों के अनुसार निर्गमित किए गए है ।	
29.	विवाह-विच्छेद की लिखत, अर्थात कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है ।	रू॰ 250 (दो सौ पचास रूपये)।
30.	किसी उच्च न्यायालय के नामावली में अधिवक्ता या वकील के रूप में प्रविष्टि :- इंडियन बार कांउसिल ऐक्ट 1926 के अधीन या लेटर्स पेटेंट द्वारा या विधि व्यवसायी अधिनियम 1884 द्वारा ऐसे न्यायालय की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में -	रू॰ 1000 (एक हजार रूपये)।

31.	सम्पत्ति के विनिमय का लिखत -	वही शुल्क जो प्रतिफल राशि या बाजार मूल्य पर हस्तांतरण (सं० 23) की बाबत विनिमय के अंतर्गत बृहत्तर मूल्यवाली सम्पति के बाजार मूल्य पर आधारित हो ।
32.	अतिरिक्त भार का लिखत, अर्थात कोई ऐसा लिखत जो बंधक सम्पत्ति पर भार अधिरोपित करता है -	
	(क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद सं० 40 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जा सहित) -	(क) अतिरिक्त प्रभार की कुल राशि के समतुल्य प्रतिफल राशि वाले हस्तांतरण पत्र (सं०23) पर लगने वाले शुल्क के समान ।

	(ख) जबकि ऐसा बंधक अनुच्छेद सं० 40 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए विवरणी में से किसी प्रकार के विवरण का है (अर्थात कब्जा रहित) -	
	(i) यदि अतिरिक्त भार के लिखत के निष्पादन के समय सम्पत्ति का कब्जा दिया गया हो या दिये जाने की सहमति दी गई हो	(ख)(i)प्रभार राशि (पूर्व के मूल बंधक एवं अन्य अतिरिक्त प्रभार की राशि को लगाकर) के समतुल्य प्रतिफल राशि के लिए कनवेयन्स (संख्या-23) के समान शुल्क, पूर्व में मूल बंधक एवं अतिरिक्त प्रभार पर चुकाए गए शुल्क को घटाकर ।
	(ii) यदि इस प्रकार कब्जा न दिया गया हो।	(ii) ऐसे लिखत द्वारा प्रतिभूत

		अतिरिक्त भार की रकम पर वहीं शुल्क जो बॉण्ड संख्या-15 पर प्रभार्य हो।
33.	दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (सं0 58) या वसीयत या अंतरण (सं॰ 62) नहीं है । (क) यदि दान पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्री, पुत्री के पुत्र या पुत्री, माँ, भाई, बहन, भाई के पुत्र या पुत्री, बहन के पुत्र या पुत्री, पत्नी, पति, पुत्रबधु, दामाद को दिया जा रहा हो। (ख) किसी अन्य मामलें में ।	(क) दान पत्र की विषय वस्तु के प्रतिफल अथवा सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो का 3 % (तीन प्रतिशत)। (ख) दान पत्र की विषय वस्तु की प्रतिफल अथवा सम्पति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो पर वही शुल्क जो कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य हो ।

	छूट :- सरकार के पक्ष में निष्पादित किसी दान-पत्र के लिखत पर मुद्रांक शुल्क में छूट वैसे मामलों में दी जाएगी जब जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त अथवा सरकार की ओर से दानग्रहिता कोई पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हों कि मुद्रांक शुल्क सरकार द्वारा देय है कि मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-3 सहपठित धारा-29 के अधीन सरकार द्वारा देय है।	
34.	क्षतिपूर्ति बंध-पत्र ।	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के प्रतिभूति पत्र (सं० 57) पर लगता है किन्तु अधिकतम रू0 200 (दो सौ रूपये)।
35.	पट्टा जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई करार सम्मिलित है :- (क) जहाँ ऐसे पट्टा द्वारा किराया नियत है और	

	कोई प्रीमियिम नहीं दी गयी है या नहीं परिदत्त की गई है/जहाँ पट्टा किसी नजराने या प्रमियिम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है और जहाँ कोई किराया आरक्षित नहीं है/ जहाँ पट्टा, आरक्षित किए गए किराया के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रमियिम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है एवं :-	
	(i) जहाँ पट्टे की अवधि पाँच वर्ष से अनधिक है।	(i) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1 : (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 % (दस प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(ii) जहाँ पट्टे की अवधि पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक है।	(ii) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय

		या परिदेय पूरी रकम का 1% (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% (पच्चीस प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(iii) जहाँ पट्टे की अवधि दस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक है।	(iii) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1% (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के

		50% (पचास प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(iv) जहाँ पट्टे की अवधि तीस वर्ष से अधिक हो या शाश्वत्ता के लिए तात्पर्यित हो या एक निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो।	(iv) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1 : (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 90% (नब्बे प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो। परन्तु कि यदि पट्टे का करारनामा

		अनुच्छेद 5(ड़) अथवा 5 (छ) के तहत मुद्रांकित हो तो इस पर चुकाये गये मुद्रांक शुल्क का समायोजन अनुवर्त्ती रूप से निष्पादित पट्टा विलेख, पर अनुच्छेद 35 (क) I, ii, iii एवं iv के तहत प्रभार्य कुल मुद्रांक शुल्क से किया जायेगा।
	(ख) खन्न पट्टा, खासमहल पट्टा या कोई अन्य पट्टा जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से निष्पादित किया गया हो।	(ख) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1.5% (एक दशमलव पाँच प्रतिशत)

	छूट :- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पाद के लिए वृक्षों का पट्टा सम्मिलित है), जो कोई नजराना या प्रीमियम दिये बिना या परिदत किये बिना निष्पादित किया गया है और जिसमें कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या आरक्षित किया गया औसत वार्षिक किराया रू॰ 100 (एक सौ रूपये) से अधिक नहीं है।	
	छूट :- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के स्पष्टीकरण :- जहां पट्टेदार कोई आवर्त्ती प्रभार जैसे- सरकारी राजस्व, जमींदार के हिस्से का सेस या स्वामी के हिस्से का नगरपालिका कर या कर जो विधि के अनुसार पट्टाकर्त्ता से वसूलनीय है, अभिदाय करने का वचन देता है, वह रकम जिसे इस प्रकार अभिदाय करने का पट्टेदार द्वारा करार किया गया है, लगान का एक भाग समझा जायगा ।	

38.	अनुज्ञप्ति पत्र, अर्थात ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का काई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।	रू॰ 300 (तीन सौ) रूपये।
39.	कम्पनी के संगम का ज्ञापन -	
	(क) यदि उसके साथ इंडियन कंपनीज ऐक्ट 2013 के अधीन संगम अनुच्छेद संलग्न हो	(क) रू॰ 500 (पांच सौ) रूपये।
	(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो	(ख) रू॰ 1000 (एक हजार) रूपये।
	छूट :- किसी भी ऐसे संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 2013 की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।	
40.	बंधक विलेख जो (हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम, या गिरवी (सं॰ 6), बंध पत्र (सं॰ 15), फसल का बंधक (सं॰ 41), जहाजी माल बंधपत्र (सं॰ 56), या प्रतिभूति देय पत्र (सं॰ 57) से संबंधित करार नहीं है)	

	(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्त्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है -	(क) बंधक धन का 2.5%
	(ख) जब यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिए जाने के लिए करार नहीं किया गया है ।	(ख) बंधक धन का 1.5%
	स्पष्टीकरण :- ऐसे बंधकर्त्ता के बारे में, जो बंधकदार को बंधकित सम्पत्ति या उसके भाग का किराया या पट्टा राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है ।	
	(ग) जब कोई सांपश्विर्वक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपर्युक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक रूप में मुद्रांकित है -	(ग) अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का 1%
	छूट :- वे लिखतें जो लैण्ड इम्प्रुवमेंट लोन्स ऐक्ट **1883,** या एग्रीकल्चररिस्ट्स लोन्स ऐक्ट **1884** के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनकी प्रतिभूतियों द्वारा ऐसे उधारों को चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गयी है।	

41.	फसल का बंधक, जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत भी सम्मिलित है, जो फसल के बंधक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो-	रू॰ 50(पचास) रूपये।
42.	नोटरी संबंधी कार्य, अर्थात कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (सं॰ 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है।	रू॰10 (दस) रूपये।
43.	टिप्पणी या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्त्ता द्वारा अपने मालिक को उनके निमित्त निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है -	
	(क) ऐसे किसी माल का, जो बीस रूपये से अधिक मूल्य का है-	(क) रू॰10(दस) रूपये।
	(ख) ऐसे किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का, जो बीस रूपये से अधिक मूल्य का है-	(ख) 1% न्यूनतम 10 रूपये अधिकतम रू0 200/- (दो सौ) रूपये ।

44.	पोत मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण-	रू० 20 (बीस) रूपये।
45.	विभाजन की लिखत (धारा 2 (15) द्वारा यथा परिभाषित)	वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के पृथक किये गये अंश या अंशो के बाजार मूल्य की रकम के बंध पत्र (सं० 15) पर लगता है । विशेष टिप्पणी- सम्पत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान बाजार मूल्य के अंश है जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं है तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जायेगा जिससे अन्य

		अंश पृथक कर दिए गये हैं- परन्तु सदैव यह कि-
		(क) जब विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें संपत्ति को पृथक पृथक विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत

		की बाबत चुकाये गये शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह 10 (दस) रूपये से कम नहीं।
		(ख) जहां भूमि, राजस्व बंदोबस्त पर ऐसी कालावधि के लिए, जो तीस वर्ष से अधिक नहीं है, धारित है, और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य उसके वार्षिक राजस्व के

		पांच गुणा से अधिक परिकलित नहीं किया जायेगा।
		(ग) जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन करने का पारित अंतिम आदेश या विभाजन करने का निदेश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित

		मुद्रांक से मुद्रांकित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क 10 (दस) रूपये से कम नहीं।
46.	भागीदारी - (क) भागीदारी की लिखत-	
	(i) यदि साझेदारी की पूंजी का लिखत में उल्लेख है।	(i) भागीदारी के पूंजीगत मूल्य की रकम का 3% (तीन प्रतिशत)

		न्यूनतम रूपये 500 (पाँच सौ) अधिकतम रूपये 6000/- (छः हजार) ।
	(ii) अन्य मामलों में ।	(ii) रू॰ 6000 (छः हजार) रूपये।
	(ख) भागीदारी का विघटन ।	(ख) रू॰ 500 (पांच सौ) रूपये।
48.	धारा 2 (21) में यथा परिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है-	
	(क) जब वह प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अधीन वादों या कार्यवाहियां में अपेक्षित है-	(क) रू॰ 100 (एक सौ) रूपये।
	(ख) जब वह एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है-	(ख) रू॰ 100 (एक सौ) रूपये।

	(ग) जब वह एक या अधिक व्यक्तियां को खण्ड (ख) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ।	(ग) रू॰ 200 (दो सौ) रूपये
	(घ) जब वह एक व्यक्ति/ व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्ततः अथवा पृथकतः, जैसी स्थिति हो, एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हो एवं :-	
	(i) यदि पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्री, पुत्री के पुत्र या पुत्री, माँ, भाई, बहन, भाई के पुत्र या पुत्री, बहन के पुत्र या पुत्री, पत्नी, पति को दिया गया हो।	(घ) (i) रू॰ 500 (पाँच सौ) रूपये।
	(ii) यदि (घ) (i) में उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया गया हो (भूमि/संपति के विक्रय/हस्तांतरण को छोड़कर)।	(घ) (ii) रू॰ 2000 (दो हजार) रूपये
	(iii) यदि (घ) (i) में उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया गया हो (भूमि/संपति के विक्रय/ हस्तांतरण के लिए)।	(घ) (iii) भूमि/संपति के बाजार मूल्य का 2% (दो प्रतिशत)।

	(ड.) जब किसी बिल्डर या प्रोमोटर या डेवलपर (जिस नाम से भी जाना जाय), को अंचल संपत्ति के विकास, निर्माण या विक्रय, (किसी प्रकार से भी) हेतु दिया गया हो ।	(घ) डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सन्निहित भूमि के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो एवं जो प्रचलित व्यवसायिक मूल्य पर परिगणित किया गया हो का 2.5% (दो दशमलव पाँच प्रतिशत)
	(च) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है-	(च) प्रतिफल अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क।

	स्पष्टीकरण **I** :- एक से अधिक व्यक्तियों की बावत उस दशा में जिसमें वे एक ही फर्म के है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति है।	
	स्पष्टीकरण **II** :- एक से अधिक व्यक्तियों की बावत उस दशा में जिसमें वे एक ही फर्म के है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति है।	
	स्पष्टीकरण **III** :- जहां खण्ड (च), के अंतर्गत शुल्क चुकाया गया है और तत्पश्चात उस सम्पत्ति का मुख्तारनामा के अनुसरण में मुख्तारनामें के निष्पादक तथा जिसके पक्ष में निष्पादित किया गया है के बीच हस्तांतरण पत्र निष्पादित किया जाय, वहां हस्तांतरण पत्र पर बाजार मूल्य के अनुसार शुल्क की गणना में से मुख्तारनामे पर चुकायी गयी राशि घटा दी जायेगी । स्पष्टीकरण **IV** :- अनुच्छेद **48(**ड.) के उद्देश्य से बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट का तात्पर्य होगा एवं इसमें सम्मिलित होगें बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/अपार्टमेंट जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, **2011** अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में परिभाषित है।	

50.	विनिमय पत्र या वचन पत्र विषयक प्रसाक्ष्य अर्थात नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा जो विनिमयपत्र या वचन पत्र को अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है ।	रू॰ 50 (पचास रूपये)।
51.	पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति अर्थात पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेनेवालों या परिपित्तियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिए उसके द्वारा उनके विरूद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है -	रू॰ 50 (पचास रूपये)।
54.	<u>बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण-</u>	बंध पत्र (सं॰ 40 (ख)) की तरह, अधिकतम रू॰ 200 (दो सौ रूपये)।
55.	<u>निर्मुक्ति, अर्थात-</u>	
	(क) कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23 ए द्वारा उपबंध किया	(क) निर्मुक्ति पत्र में अंकित

	गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है।	प्रतिफल या सम्पत्ति का बाजार मूल्य (दावे का मूल्य) जो भी अधिक हो का 3% है।
	(ख) बंधक द्वारा कब्जा दिये गये अधिभार मोचन की निर्मुक्ति या पूर्व हस्तांतरित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण प्राप्त करने हेतु-	(ख) निर्मुक्ति पत्र में उल्लिखित प्रतिफल पर हस्तांतरण पत्र सख्ंया-23 की तरह।
56.	जहाजी माल बंधपत्र अर्थात कोई लिखत जो उस उधार के लिए, प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गन्तव्य पतन पर पहुँचने पर समाश्रित है ।	वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध पत्र (सं० 15) पर लगता है ।
57.	प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख, जो किन्ही पदीय कर्त्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य	बंध पत्र (सं० 15) की तरह शुल्क न्यूनतम रू०

	सम्पत्ति का लेखा जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है -	10 (दस रूपये) अधिकतम रू० 200 (दो सौ रूपये)।
	छूटें :- बंध पत्र या अन्य लिखत जबकि वह निम्न रूप में निष्पादित किया जाय -	
	(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ कि दातव्य औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए निजी चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय मासिक आय विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।	
	(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम 1883 (1883 का XIX) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का XII) के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में।	
	(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्त्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए या उनके द्वारा धारित पद के आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक रूप से लेखा सुनिश्चित करने के लिए ।	

58.	व्यवस्थापन :- (क) व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत स्त्रीधन (मेहर) विलेख है) ।	
	(i) परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में व्यवस्थापन- स्पष्टीकरण :- इस अनुच्छेद के अधीन परिवार का अभिप्रेत है पिता, माता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री तथा इसमें पर-पिता, पर-माता, पेता, दत्तक पिता-माता एवं दत्तक पुत्र-पुत्री सम्मलित है ।	(i) वही शुल्क जो व्यवस्थापित सम्पत्ति की रकम या बाजार मूल्य के, जो भी अधिक हो की राशि पर बंधपत्र (सं॰ 15) की तरह।
	(ii) अन्य मामलों में ।	(ii) उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो व्यवस्थापन का विषय वस्तु पर कनवियांस (सं॰ 23) की तरह।

	छूट :-विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया मेहर विलेख ।	
	(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण।	(ख) रूपये 500 (पांच सौ रूपये)।
59.	द कम्पनीज एक्ट, 2013 (के अधीन निर्गमित शेयर वारंट वाहक के लिए	वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर प्रतिफल या बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण पत्र (सं० 23) पर संदेय शुल्क का डेढ़ गुणा शुल्क।
	छूटें :-शेयर अधिपत्र जब वह किसी कम्पनी द्वारा द कम्पनीज एक्ट, **2013** के अनुसरण में निर्गमित किया गया है जो स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन धन के रूप में निम्नलिखित की आदयगी कर दिये जाने पर प्रभावी होगा-	

	(क) कम्पनी की पूरी प्रतिभूत पूंजी का डेढ़ प्रतिशत या,	
	(ख) यदि कोई कंपनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करता है जो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) हो ।	
61.	पट्टे का अभ्यर्पण -	
	(क) जब पट्टे पर प्रभार्य शुल्क 200 (दो सौ) रूपये से अधिक नहीं है -	(क) वह शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रभार्य है ।
	(ख) किसी अन्य मामले में ।	(ख) रूपये 200 (दो सौ रूपये)।
	छूट :-पट्टे का अभ्यर्पण, जब ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो ।	
62.	अंतरण (चाहे वह प्रतिफल सहित या रहित हो)	
	(क) किसी निर्गमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयरों का ।	(क) शेयर के मूल्य का 0.25% प्रतिशत।

	(ख) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिवेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभुतियाँ हो, चाहे शुल्क के लिए डिबेंचर दायी हो या न हो :-	(ख) डिबेंचर की अंकित राशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण पत्र (सं॰-23) पर देय शुल्क का आधा ।
	(ग) किसी हित का बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पॉलिसी द्वारा प्रतिभूत ।	(ग) बंध पत्र (सं॰ 15) की तरह अधिकतम रू॰ 200 (दो सौ रूपये) न्यूनतम रू॰ 100 (एक सौ रूपये)।
	(घ) एडमिनिस्ट्रेटर जेनरल्स ऐक्ट 1913 (1913 का 3 रा) की धारा 31 के अधीन किसी संपत्ति का अंतरण :-	(घ) रू॰ 100 (एक सौ रूपये)
	(ड.) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को किसी न्यास सम्पत्ति का अंतरण, बिना प्रतिफल के ।	(ड.) हस्तांतरण पत्र (सं॰ 23) की तरह सम्पत्ति के बाजार मूल्य के लिए।
	छूटें :-पृष्ठांकन द्वारा अंतरण :-	
	(क) जो विनिमय पत्र, चेक या वचन पत्र का,	
	(ख) वहन पत्र, परिदान आदेश, माल के लिए वारंट या	

	माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का,	
	(ग) बीमा पॉलिसी का,	
	(घ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का हो ।	
63.	पट्टे का अंतरण : समनुदेशन द्वारा, न कि उपपट्टे द्वारा ।	वही शुल्क जो अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम या बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण पत्र (सं० 23) पर लगता है ।
	छूट :-शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण ।	
64.	न्यास :-	
	(क) की घोषणा- किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में, जब वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में की गई हो ।	रू० 5000 (पाँच हजार रूपये)
	(ख) का प्रतिसंहरण किसी सम्पत्ति का या उसके बारे में, जब वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो ।	(ख) रू० 1000 (एक हजार रूपये) ।
	छूट :-पूर्त्त या धार्मिक न्यास, वक्फ अलअल-औलाद सहित ।	

65.	माल के लिए वारंट अर्थात ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल की सम्पत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भंडागार या घाट में या उस पर पड़ा है, जब ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी ओर से, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है ।	रू॰ 20 (बीस रूपये)।

टिप्पणी :- (**1**) मुद्रांक शुल्क की गणना करते समय जो राशि पैसे में हो उसे निकटतम रूपयें में परिवर्तित कर दिया जाय ।

टिप्पणी :- (**2**) जहाँ कहीं न्यूनतम मुद्रांक शुल्क निर्धारित नहीं है वहाँ मुद्रांक शुल्क दस रूपयें से कम नहीं होगा ।

खण्ड "ख"

5. बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) का संशोधन ।

6. निरसन एवं व्यावृति:- बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) की धारा-5 एतद द्वारा निरसित की जाती है ।

7. ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम, की धारा-5 के अधीन प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा प्रभावित नहीं होगी ।

उद्देश्य एवं हेतु

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1A के तहत विभिन्न प्रकार के लिखतों (Instrument) पर देय मुद्रांक शुल्क की दरों में विसंगति दूर करने, व्यवहारिक बनाने, स्पष्ट करने, दषमलव पद्धति के मुद्रांक दर तय करने तथा राजस्व में वृद्धि करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है। इससे राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी तथा अनुसूची के तहत निर्धारित दर अधिक व्यवहारिक एवं स्पष्ट हो जाएगी ।

बिहार इंटरटेनमेंट ड्यूटी कोर्ट फीस एवं सरचार्ज एक्ट (झारखण्ड सरकार में प्रभावी) के तहत 110% अधिभार देय है। वर्तमान में अनुसूची 1A में विभिन्न लिखतों पर लागू मुद्रांक दर में वृद्धि की जा रही है। यदि उक्त अधिनियम के तहत 110% अधिभार समाप्त नहीं किया जाता है तो प्रभावी मुद्रांक दर दुगने से भी अधिक हो जाएगी। अतः बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस एवं मुद्रांक (अधिभार संषोधन) अधिनियम, 1948, (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) की धारा-5 को निरसित करने से आम जनता पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा जो कि लोकहित में है ।

अमर कुमार बाउरी,

भार साधक सदस्य

विनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 जुलाई, 2016 ई० |

संख्या-वि०स०वि०-25/2016-2935 वि०स०--निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांकः- 28 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ,झारखण्ड विधा-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है |

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा,राँची |

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-15/2016]

(वि०स०वि०-14/2016)

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

विषय-सूची

खण्ड 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. संबद्ध अधिनियम की धारा-9

3. में उप धारा (3) का समावेशन।

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रस्तावनाः-

चूँकि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की शिकायतें पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग को मिलती रहती हैं । ऐसे में मात्र आरक्षण हेतु किसी वर्ग का चयन करना पर्याप्त नहीं है परन्तु आरक्षण दिये जाने हेतु चिन्हित वर्गों को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में राज्य में लागू आरक्षण नीति के नियमानुसार आरक्षण प्राप्त हो यह सुनिश्चित कराना आवश्यक है । अतएव पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग के कृत्य में अतिरिक्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।

अतः भारत के गणराज्य के 67 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

(1) संक्षिप्त नाम, एवं विस्तार और प्रारम्भ-

(i) यह अधिनियम " झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा ।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

(2) झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 9 में उपधारा 9(3) (क) एवं (ख) निम्नवत अतः स्थापित किया जाता हैः-

धारा 9 (3) (क) संविधान के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम अथवा अनुदेश के अंतर्गत अधिकार एवं संरक्षण से वंचित रहने तथा लोक सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा एवं राज्य सरकार को यथोचित सलाह देगा ताकि राज्य सरकार उस पर उचित कार्रवाई कर सके ।

(ख) समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जाएगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 9 में वर्तमान आयोग के कृत्य निम्नरूपेण प्रावधानित हैः-

9. **आयोग के कृत्यः-**(1) आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिये किए गए अनुरोध की जांच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछडे वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित समझे ।

(2) आयोग की राय मानने के लिये सामान्यतः राज्य-सरकार बाध्य होगी ।

परन्तु आयोग के पास अक्सर ऐसी शिकायतें/परिवाद प्राप्त होते हैं कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे में मात्र आरक्षण हेतु किसी वर्ग का चयन करना पर्याप्त नहीं है परन्तु आरक्षण दिये जाने हेतु चिन्हित वर्गों को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में राज्य में लागू आरक्षण नीति के नियमानुसार आरक्षण प्राप्त हो यह सुनिश्चित कराना आवश्यक हैं। अतएव झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग के कृत्य में अतिरिक्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 9 में उप धारा (3) का समावेशन आवश्यक हो गया है एवं उक्त संशोधन ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है ।

रघुवर दास,
भार साधक सदस्य

विनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

29 जुलाई, 2016 ई० |

संख्या-वि०स०वि०-30/2016-2973 वि०स०--निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांकः- 28 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ,झारखण्ड विधा-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है |

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा,राँची |

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-19/2016]

(वि०स०वि०-14/2016)

झारखण्ड विधानराँची,सभा

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ:-

1. **यह अधिनियम, "दि कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा ।**

2. **इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।**

3. **यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।**

4. **दि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा-20 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।**

उद्देश्य एवं हेतु

"Ease of Doing Business" कार्यक्रम के अन्तर्गत कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 ''की धारा 20 अन्तर्गत प्रोसेस फी को विलोपित करने का प्रस्ताव है । प्रोसेस फी की रकम नगण्य होने के कारण ''दि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 ''की धारा 20 के अन्तर्गत प्रोसेस फी को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। इससे कोई विशेष राजस्व बोझ नहीं पड़ेगा अपितु आम आदमी इससे काफी लाभान्वित होगा क्योंकि इससे प्रोसेस फी स्टाम्प की प्राप्ति के भागमभाग से मुक्ति मिल जाएगी ।

अमर कुमार बाउरी,

भार साधक सदस्य ।

वित्तीय संलेख

वर्तमान समय में आम आदमी को कोर्ट फी एवं प्रोसेस फी का अलग-अलग भुगतान करना पड़ता है। "Ease of Doing Business" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोसेस फी को विलोपित करने का प्रस्ताव है । प्रोसेस फी शुल्क कम होने के कारण इससे प्रति वर्ष रू॰1,45,854.5/- (एक लाख पैतालीस हजार आठ सौ चैवन एवं पाँच पैसा) मात्र रूपये की प्राप्ति होती है। प्रोसेस फी शुल्क विलोपित करने पर रू॰ 1,45,854.5/- (एक लाख पैतालीस हजार आठ सौ चैवन एवं पाँच पैसा) रूपये का वित्तीय बोझ राज्य पर पड़ेगा किन्तु आम जनता इससे काफी लाभान्वित होगी । इससे समय की बचत के साथ-साथ भागमभाग से भी मुक्ति मिलेगी । योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा मामले पर सहमति के उपरांत ही ''कोर्ट फी अधिनियम,1870 ''की धारा-20 को विलोपित करने का प्रस्ताव है ।

अमर कुमार बाउरी,

भार साधक सदस्य ।

विनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची |

अधिसूचना

29 जुलाई, 2016 ई० |

संख्या-वि०स०वि०-31/2016-2971 वि०स०--निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक:- 29 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ,झारखण्ड विधा-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है |

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा,राँची |

झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्विधालय विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-20/2016]

झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय विधेयक-2016

प्रस्तावना

यह विचारणीय है कि समाज में शांति और समरसता बनाये रखने तथा कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस और प्रशासन की भूमिका महत्ववपूर्ण है ।

समय के अनुरूप आवश्यकता है कि-(i) राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम, प्रशिक्षित और पेशेवर मानवबल तैयार करने, (ii) राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों में अपने कैरियर के निर्माण हेतु राज्य के युवाओं के लिए अवसर, (iii) विभिन्न किस्म के अपराधों यथा- आतंकवाद, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, दूरसंचार अपराध एवं ऐसे अपराध जिनमें न्यायिक विज्ञान में विशेषज्ञता की जरूरत है, के क्षेत्र में उत्पन्न हो रही चुनौतियों से निबटने के लिए मानवबल का प्रशिक्षण एवं तैयारी ।

अतएव, झारखण्ड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखण्ड राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशन हो जिसे 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के रूप में जाना जाय ।

एतदद्वारा भारतीय गणराज्य के सड़सठ्वें वर्ष में झारखंड बिधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है ।

अध्याय- ।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

(1) यह विधेयक ''झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय विधेयक-2016'' कहा जाएगा ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ:

इस विधेयक में जब तक कि संदर्भ को अन्यथा जरूरी न हो:-

(i) 'अकादमिक परिषद' का अर्थ है धारा 19 के तहत गठित विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद्;

(ii) 'शासी परिषद्' का अर्थ है धारा 16 के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय का शासी परिषद्;

(iii) 'संकायाध्यक्ष' का अर्थ है धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष;

(iv) 'निदेशक शोध एवं विकास' का अर्थ है धारा 12 के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक शोध एवं विकास;

(v) 'निदेशक' का अर्थ है धारा 23 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के संस्थानों के निदेशकगण;

(vi) 'वित्त समिति' का आशय है धारा 21 के तहत गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(vii) 'वित्त परामर्शी' का अर्थ है धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी;

(viii) 'विहित' का अर्थ है विनियम द्वारा विहित;

(ix) 'प्रति कुलपति' का अर्थ है धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति;

(x) 'कुलसचिव' का अर्थ है धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव;

(xi) 'विनियम' का अर्थ है धारा 35 के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के विनियम;

(xii) 'विश्वविद्यालय' का आशय है धारा 3 के तहत स्थापित और समावेशित झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय;

(xiii) 'कुलपति' का अर्थ है धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ।

अध्याय- II

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेशनः

(1) 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

(2) कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्तीय सलाहकार, शासी परिषद्, अकादमिक परिषद्, निदेशक, निदेशक अनुसंधान और विकास, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव एवं अन्य अधिकारी एतद् द्वारा 'झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय' के नाम से निकाय का गठन करेंगे, जब तक कि वे इस पद पर हैं अथवा उनकी सदस्यता बनी रहेगी ।

(3) विश्वविद्यालय एक ऐसा निकाय होगा जो सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा के तहत संचालित होगा । इस विधेयक के प्रावधानों के तहत उसे संपत्ति के अधिग्रहण और उस पर स्वामित्व रखने, उसे संविदा पर देने और जिसे दिये गये नाम पर वाद चलाने का अधिकार होगा, या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा ।

4. विश्वविद्यालय का मुख्यालयः

विश्वविद्यालय का मुख्यालय उस स्थान पर हो सकेगा, जिसका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्यः

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, यथा:-

(i) सुरक्षा बलों की संपूर्ण कार्यशैली में उत्कृष्टता लाने हेतु सुरक्षा विज्ञान और प्रबंधन में एक संस्थान का विकास करना;

(ii) आंतरिक सुरक्षा के सभी मामलों में शोध/अनुसंधान को आगे बढ़ाना;

(iii) व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के संदर्भ में विधि प्रवर्तक अभिकरणों के द्वारा ज्ञान और कौशल के लाभ का विस्तार करना;

(iv) शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना ताकि शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जा सके;

(v) प्रशिक्षण में नवाचार के द्वारा सुरक्षा बलों के लिए शिक्षण-प्रणाली का विकास और संचालन;

(vi) विचारों व मूल्यों के संवर्द्धन और विकास तथा भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा को सुरक्षित करने की दृष्टि से पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की कार्य-प्रणाली का उन्नयन;

(vii) विधि के शासन के लिए सम्मान और न्यायसंगत प्रशासन के प्रति विश्वास का विकास करना;

(viii) सतत् शिक्षा और अभ्यास के द्वारा जीविकोन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करना;

(ix) सुरक्षा बलों के साथ जनसामान्य के बेहतर परस्पर संवाद के लिए शोधकार्य और कार्यक्रमों के आयोजनों का कार्यान्वयन;

(x) राज्य के युवाओं को प्रभावी और सक्षम सुरक्षा कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार करना तथा उक्त उद्देश्य से पाठयक्रमों का संचालन एवं डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(xi) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिनका इस विधेयक के प्रावधानों में सामंजस्य नहीं हुआ है, का विश्वविद्यालय के आवेदन पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार की ओर से निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

6. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, पंथ अथवा मतवाद से परे सबके लिए खुला होगाः

(1) किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी प्राधिकार की सदस्यता से, निकाय अथवा समिति से बाहर नहीं किया जा सकता अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य अथवा पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्म के स्थान, धार्मिक विश्वास या राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय के लिए यह वैध नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर अपनी जाँच प्रक्रिया, लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्म के स्थान, धार्मिक विश्वास या राजनीतिक वृत्ति या अन्य मतवाद के आधार पर करके, उसे शिक्षक या विद्यार्थी के रूप में दाखिला दे अथवा विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या पद को धारण कराये अथवा किसी भी डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करे अथवा विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार का उपयोग प्रदान करे अथवा उसके उपकार का अधिकारी बनाए ।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कार्यः

इस विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों को निष्पादित करेगा, यथा-

(1) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक शोध, शिक्षण और अनुदेशन के संस्थानों व केन्द्रों की स्थापना ।

(2) पुलिस सेवा और पुलिस विज्ञान एवं सैन्य विज्ञापन की शाखाओं और अधिगम के अनुकूल अनुदेश प्रशिक्षण तथा शोध उपलब्ध कराना ।

(3) इलेक्ट्रोनिक तथा दूरस्थ शिक्षण तंत्र एवं वितरण प्रणालियों में लचीलापन उपलब्ध कराते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का निर्धारण ।

(4) परीक्षाओं का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस ले लेना ।

(5) वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान कर पाना ।

(6) विश्वविद्यालय के मतानुसार इसके उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए विशेष केन्द्रों, विशेष अध्ययन केन्द्रों अथवा अनुसंधान एवं विकास हेतु अन्य विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना ।

(7) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन तथा पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन ।

(8) पुलिस को वस्तुगत दृष्टि से परिणामोन्मुख बनाने के लिए व्यावहारिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समवर्गी क्षेत्रों में अन्वेषण, संसूचन (खोज) एवं अपराध रोकने तथा अपराध से पीड़ितों के पुनर्वास से संबंद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान से जुड़े सभी कृत्यों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना ।

(9) समान अथवा समरूप उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग एवं संबद्धता ।

(10) दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों के साथ संबंध बनाने और सहयोग स्थापित करने के लिए पूर्णतया अथवा अंशतया शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों का सामान्य तरीके से आदान-प्रदान, जो समान उद्देश्यों के लिए प्रेरक हो।

(11) अपराधों के अन्वेषण एवं संसूचन और अपराधिक न्याय तंत्र के कारणों के अनुसंधान के क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा शिक्षकों और शोधार्थियों के बीच संबंध रखना और उसे आगे बढ़ाना ।

(12) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन और वित्त का प्रबंधन तथा लेखा का रख - रखाव ।

(13) जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से विश्वविद्यालय बना है, उसके लिए अनुदान, चंदा, दान और उपहार प्राप्त करने तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य प्राधिकारों या निकायों के साथ अनुदान प्राप्ति के समझौते में सम्मिलित होना ।

(14) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्रप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति, उपहार, दान, उपकार अथवा वसीयत के रूप में उद्योग अथवा अन्य स्रोतों से निधि प्राप्त करना ।

(15) सभागार का निर्माण, रखरखाव तथा प्रबंधन एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास के लिए छात्रावास तथा संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास तथा अतिथि गृह का निर्माण ।

(16) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन ।

(17) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, मेडल तथा अन्य इनाम गठित करना ।

(18) निर्धारित तरीके से फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना ।

(19) विश्वविद्यालय आवश्यकता अथवा प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से भूमि या भवन को खरीदने या पट्टे पर लेने का कार्य कर सकेगा और यह उन नियमों और शर्तों के

रूप में मान्य हो सकता है जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने तथा रखरखाव हेतु उचित हो ।

(20) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्दश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, के अनुरूप विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रबंधित करना ।

(21) सरकारी वचन पत्र एवं अन्य वचन पत्र, विनियम विपत्र, धनादेश (चेक) तथा अन्य विनिमेय उपकरणों को वापस लेना और स्वीकारना, बनाना और अनुमोदन करना, छूट प्राप्त करना और समझौता वार्ता करना ।

(22) विश्वविद्यालय की निधि से विश्वविद्यालयों के सभी खर्चों को पूरा करने हेतु अग्रधन मान्य नियमों एवं शर्त्तो के अनुरूप या बिना प्रतिभूति के विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के विरूद्ध बोर्ड, प्रबंधन, वचन पत्र पर धन एकत्र करना या उधार लेना और लिये गये धन को राज्य सरकार की पूर्वानुमति से वापस करना ।

(23) विश्वविद्यालय के हित की दृष्टि से समय-समय पर मान्य तरीकों के अनुरूप विश्वविद्यालय के कोष का ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश और किसी निवेश को पक्षांतरित करना ।

(24) राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल संपत्ति के लिए हस्तांतरण पत्रों से संबध्द्ध अंतरण, बंधक पत्रों, पट्टा अनुसार अनुबंध और संपत्ति के संदर्भ में अन्य हस्तांतरण, सरकारी प्रतिभूतियों समेत, को कार्यान्वित करना।

(25) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यकर्मों में निधारित तरीके से विद्यार्थियों का नामांकन ।

(26) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय एवं अन्य पदों पर नियुक्ति करना ।

(27) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन का नियमन एवं लागू करना तथा निर्धारित तरीके से अनुशासनिक कार्यवाही करना ।

(28) प्राध्यापकी, सह-प्राध्यापकी, सहायक प्रध्यापकी, सम्पन्न प्रध्यापकी, मानद प्रध्यापकी, अनुबद्ध प्रध्यापकी, एमेरिटस प्राध्यापिकी, एवं अन्य कोई शिक्षण, अकादमिक अथवा शोध- पदों के लिए योग्यता का निर्धारण और इनकी स्थापना के लिए राज्य सरकार को अनुरोध करना ।

(29) विश्वविद्यालय के निदेशकों, अनुसंधान और विकास निदेशक, प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अनुबद्ध प्राध्यापकों, कुलसचिव अथवा अन्य प्रकार के शिक्षकों और अन्वेषकों की नियुक्ति ।

(30) इस विधेयक के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकार, आदेश द्वारा अपने अधिकार (विनियमों के निर्माण को छोड़कर), अपने नियंत्रण के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकार को सौंप सकता है, बशर्ते कि अन्ततोगत्वा शक्तियों के प्रयोग का दायित्व उस अधिकारी को अथवा प्राधिकार को होगा, जिसके द्वारा अधिकार सौंपा गया है ।

(31) किसी उद्देश्य की प्राप्ति या परिवर्धन में सहायक या आनुषंगिक मामलों या सारे मामले पर, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, पर कार्यवाही करना ।

8. कुलाधिपतिः

(1) झारखण्ड के राज्यपाल अपने कार्यालय के पदेन अधिकार से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। ये विश्वविद्यालय के प्रधान और शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे और जब मौजूद रहेंगे तो शासी परिषद् के बैठकों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(2) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वे विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान या केन्द्र के भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, शिक्षण, शोध एवं किये जानेवाले अन्य कार्यों तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक एवं वित्त से संबंधित किसी मामले की जाँच के लिए और इनके निरीक्षण या पुनरीक्षण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकेंगे ।

बशर्ते कि कुलाधिपति प्रत्येक मामले में कुलपति को निरीक्षण अथवा जाँच के अभिप्राय की सूचना देंगे अथवा निरीक्षण या जाँच कराने के क्रम में विश्वविद्यालय उसमें प्रतिनिधित्व का अधिकारी होगा ।

(3) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण और जाँच के नतीजों को कुलपति को प्रेषित कर सकते हैं और कुलपति उनके मंतव्य से शासी परिषद् और अकादमिक परिषद् को अवगत करायेंगे ।

(4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कार्यवाही या आदेश को अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के अनुरूप नहीं होने अथवा यथेष्ट कारण के अभाव में लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकते हैं ।

बशर्ते कि ऐसा आदेश या निर्देश देने के पूर्व इसके विषय में विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट समय में यह कारण बताने को कहा जाएगा कि क्यों ऐसा आदेश या निर्देश नहीं दिया जाय। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वे उस पर विचार करेंगे ।

(5) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की संपुष्टि के अधीन होगा ।

(6) (i) विश्वविद्यालय के किन्हीं प्रशासनिक अथवा अकादमिक हितों के संदर्भ में आवश्यक समझे जाने पर कुलाधिपति के पास विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी । कुलाधिपति द्वारा जारी निर्देश का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय के कुलपति, शासी परिषद् एवं अन्य निकायों द्वारा किया जाएगा ।

(ii) कुलाधिपति के ऐसे आदेश से कोई व्यक्ति यदि खिन्न हो तो वह कुलाधिपति के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है, वे आवेदन पर विचार करेंगे और उन्हें यह शक्ति होगी कि वे अपने पूर्व के आदेश या आदेशों की पुष्टि करें, उनमें किंचित परिवर्तन करें या निरस्त करें जैसा वे उपयुक्त और उचित समझें ।

9. कुलपति:

(1) (i) कुलपति के रूप में ऐसे व्यक्ति जो क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता एवं सांस्थिक निष्ठा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए हुए हो, की नियुक्ति होगी। कुलपति के रूप में जिनकी नियुक्ति होनी है, को किसी राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठन/सेना/ अर्द्ध सैनिक बल में सेवा दिया हुआ होना चाहिए या वे राज्य या केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस बल या सैन्य या अर्ध सैनिक बल में शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में प्रमाणित कीर्तिमान के साथ प्रशिक्षण से जुड़े रहे हों ।

(ii) कुलपति का चयन एक खोज समिति के द्वारा लोक सूचना या नामकरण या प्रतिभा खोज प्रक्रिया के द्वारा होगी। प्रतिभा खोज समिति के सदस्य पुलिस /सैन्य प्रतिष्ठान शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए और उनका विश्वविद्यालय के साथ किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। सूची तैयार करने के समय, खोज समिति को शैक्षिक उत्कृष्टता, देश या विदेश में प्रशिक्षण तंत्र का अनुभव तथा प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। इसे लिखित रूप में कुलाधिपति के समक्ष पेश करते समय तीन से पाँच नाम वाले सूची के साथ दिया जाना अपेक्षित होगा ।

(iii) खोज समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा-

(a) सरकार द्वारा नामित एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जिसे शैक्षणिक या प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल हो और वही समिति का अध्यक्ष होगा ।

(b) निदेशक या राष्ट्रीय ख्याति के संगठन या संस्था का प्रमुख, जैसे- राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, भारतीय सैन्य अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान विधि विश्वविद्यालय का कुलपति, जो सरकार के द्वारा नामित सदस्य होगा ।

(c) कुलाधिपति के द्वारा नामित एक सदस्य, जिसे अपने राज्य की उच्च शिक्षा का ज्ञान हो तथा जिसने प्रशिक्षण/शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की हो ।

(2) विश्वविद्यालय के कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त होंगे ।

(3) कुलपति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, बशर्ते तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तीन वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।

(4) (क) कुलपति पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे तथा कुलाधिपति की इच्छा पर पद ग्रहण किए रहेंगे। बशर्ते कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर कुलपति को कार्य से मुक्त किया जा सकेगा ।

(ख) इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अन्तर्गत कुलपति सामान्य तौर पर तीन वर्षों के लिए नियुक्त होंगे तथा इस समय की समाप्ति के बाद उन्हें कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से पुनः नियुक्त किया जा सकता है और वे कुलाधिपति की इच्छा से तीन वर्षों की अवधि से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेंगे ।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी तथा अकादमिक परिषद् तथा समिति के अध्यक्ष होंगे तथा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या दूसरे निकाय की बैठक में बोलने एवं उपस्थित रहने के लिए अधिकृत होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद् की बैठक या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय में निर्देश देने तथा अनुशासन के पालन के लिए जिम्मेवार होंगे ।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

(8) इस विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत, कुलपति को स्वीकृत श्रेणियों और वेतनमान में तृतीय श्रेणी के नियमित कर्मचारियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्वीकृत क्षमता के अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का अधिकार होगा तथा वे ऐसे कर्मचारियों पर पूर्ण अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(9) शैक्षिक संवर्ग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित अर्हता युक्त व्यक्ति प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जायेंगे। किन्तु कुलपति के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा पर मात्र एक बार 11 माह के लिए नियुक्ति की जा सकेगी ।

(10) कुलपति की दूसरी सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

(11) कुलपति कुलाधिपति को हस्तलिखित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं तथा यह इस्तीफा कुलाधिपति के द्वारा स्वीकार करने की तिथि से प्रभावी होगा ।

(12) जब कोई मुद्दा अत्यावश्यक प्रकृति का हो जिसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो और यह, दिए गए विधेयक के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकार या निकाय के द्वारा तुरंत हल नहीं किया जा सकता तो कुलपति कार्रवाई कर सकते हैं, जो उन्हें उचित लगे तथा इसकी सूचना उस प्राधिकार या निकाय को देंगे जो सामान्य स्थिति में ऐसे मुद्दे को देखता है । बशर्ते कि ऐसा प्राधिकार या निकाय अगर यह समझता है कि कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है, तो वह इस बात को परिषद् को सूचित कर सकता है जो या तो कुलपति की कार्रवाई को उचित बताता है या इसे रद्द या संशोधित करता है जैसा यह सही समझता है और यह परिषद् के फैसले पर ही कार्रवाई होती है परन्तु यह फैसला कुलपति के पूर्व के आदेश के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा ।

(13) कुलपति ऐसी सभी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेंगे जो विधेयक के तहत् उन्हें दिया गया है या परिषद् या सरकार के द्वारा सौंपा गया है ।

10. प्रतिकुलपतिः

(1) कुलाधिपति प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से उसी तरह से करेंगे जैसे कुलपति की नियुक्ति होती है ।

(2) प्रतिकुलपति के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता एवं सांस्थिक निष्ठा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए हो एवं सरकार में सेवारत वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो ।

(3) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह कुलाधिपति के द्वारा राज्य सरकार से सलाह के बाद निर्धारित शर्तों पर कार्य करेगा। वह कुलाधिपति की इच्छा से तीन वर्षों के लिए कार्य करेगा बशर्ते राज्य सरकार के परामर्श से उन्हें कार्य से मुक्त किया जा सकेगा ।

(4) प्रतिकुलपति के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी ।

i. विश्वविद्यालय का प्रधान समन्वयक पदाधिकारी होंगे, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का सम्पादन करेंगे जो उन्हें कुलपति द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा दिया जाता है ।

ii. कुलपति की अनुपस्थिति या उनके अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थता की स्थिति में कुलपति के कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

iii. कुलपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद्, अकादमिक परिषद, वित्त समिति तथा ऐसे दूसरे प्राधिकारों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

11. वित्त परामर्शी:

(1) वित्त परामर्शी एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह कुलाधिपति के द्वारा भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से या भारत सरकार या झारखण्ड सरकार के लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति या पुनः नियुक्ति के आधार पर नियुक्त होगा ।

(2) वित्त परामर्शी की सेवा शर्तें कुलाधिपति के द्वारा राज्य सरकार से विचारोपरांत निर्धारित की जायेंगी तथा सामान्य तौर पर वे तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) वित्त परामर्शी कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

(4) वित्तीय महत्व के सभी प्रस्तावों पर वित्त परामर्शी का सलाह अति आवश्यक होगा ।

(5) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना, लेखाओं की देख-रेख, समय-समय पर लेखाओं का अंकेक्षण करना, अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन करना, स्वीकृत बजट के आधार पर राज्य सरकार या दूसरे स्रोतों से अनुदान की समय पर प्राप्ति, इन्हें सही तरह से रखने की व्यवस्था करना और प्राप्त अनुदानों का समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना वित्त परामर्शी की जिम्मेवारी होगी ।

(6) वित्त परामर्शी की यह जिम्मेवारी होगी कि विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामले कानून तथा नियम के अनुसार निपटाए जाएँ ।

12. निदेशक, शोध एवं विकासः

(1) निदेशक, शोध एवं विकास की नियुक्ति कुलपति द्वारा परिषद् की स्वीकृति के आधार पर की जाएगी ।

(2) वह प्रख्यात शोधार्थी होगा जिसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में विशिष्ट स्तरीय शोध पत्र प्रकाशित रहे होंगे ।

(3) निदेशक, शोध एवं विकास, की सेवा शर्तें तथा योग्यता वैसे ही होगें जो नियम में विहित हों ।

(4) वे कुलपति को संस्थान के अकादमिक, प्रशासनिक एवं दूसरे मुद्दों से संबंधित शोध एवं विकास के प्रबंधन में सहायता करेंगे ।

(5) वे कुलपति द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

13. कुलसचिवः

(1) कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा विहित सेवा शर्तों के आधार पर की जाएगी। कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे ।

(2) कुलसचिव के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी:

i. वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों की निगरानी, सामान्य प्रमाणन, कोष तथा ऐसी दूसरी सम्पत्तियों के लिए जिम्मेवार होंगे।

ii. वह विश्वविद्यालय के परिषद् तथा दूसरे प्राधिकारों के समक्ष वैसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जो इसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक होंगे ।

iii. विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के विरूद्ध सभी मुकदमों एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में अभिवचनों को कुलसचिव हस्ताक्षरित और सत्यापित करेंगे तथा ऐसे सभी वादों एवं कानूनी प्रक्रियाओं की कार्यवाही कुलसचिव द्वारा ही जारी व वितरित की जायेगी ।

iv. वह अपने कार्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति जिम्मेवार होंगे ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अधिकारी

14. विश्वविद्यालय के प्राधिकार:

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे-

i. शासी परिषद्;

ii. अकादमिक परिषद्;

iii. वित्त समिति;

iv. वैसे दूसरे प्राधिकार जो विधेयक के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किए जाते हैं ।

15. विश्वविद्यालय के अधिकारीः

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी होंगे-

i. कुलाधिपति;
ii. कुलपति;
iii. प्रति कुलपति;
iv. वित्त परामर्शी;
v. निदेशक, शोध एवं विकास;
vi. निदेशक;
vii. संकायाध्यक्ष;
viii. कुलसचिव;
ix. विश्वविद्यालय की सेवा में वैसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जा सकता है ।

16. शासी परिषद्ः

विश्वविद्यालय के शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

i. कुलाधिपति, जो परिषद् के अध्यक्ष होंगे;
ii. कुलपति जो परिषद् के उपाध्यक्ष होंगे;
iii. प्रतिकुलपति;
iv. वित्त परामर्शी;
v. निदेशक, शोध एवं विकास;
vi. विश्वविद्यालय का एक निदेशक जिसे क्रमानुसार कुलपति के द्वारा नामित किया गया हो;
vii. सैन्य बल के 23वीं डिवीजन के जेनरल-ऑफिसर-कमांडिंग (पदेन);
viii. एक पुलिस पदाधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रैंक से नीचे का न हो, सरकार के द्वारा नामित होगा, जो पदेन सदस्य होगा;
ix. प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा या उनके प्रतिनिधि जो विभागीय निदेशक के पद से नीचे का न हो;
x. प्रधान सचिव, गृह विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो विशेष सचिव के रैंक से कम का नहीं हो;
xi. राज्य सरकार के द्वारा नामित झारखण्ड में स्थित किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति;
xii. राज्य के द्वारा नामित वैसे पाँच व्यक्ति जो सुरक्षा, शिक्षा या लोक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हों या विशिष्टता हासिल किए हुए हों;
xiii. कुलसचिव परिषद् के सचिव होंगे ।

17. परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ:

1. इस विधेयक के प्रावधानों के तहत् परिषद् सामान्य देख-रेख, निर्देश तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के नियंत्रण के लिए जिम्मेवार होगा तथा विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या अन्य समितियों, अकादमिक परिषद् तथा वित्तीय समितियों के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति रखेगा ।

2. उपधारा (1) के प्रवधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना परिषद् के पास निम्नलिखित कार्य एवं शक्ति होंगे -

   i. विश्वविद्यालय के कार्य और प्रशासन से संबंधित नीति के प्रश्नों पर निर्णय लेना;

   ii. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना;

   iii. नियम बनाना;

   iv. प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को मंजूर करना तथा इस पर विचार करना;

   v. विश्वविद्यालय के कोष/ पूँजी तथा धन का निवेश करना और वित्तीय समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेना;

   vi. अध्ययन सामग्री, विवेचनात्मक लेखों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों तथा समय-समय पर दूसरे साहित्यों के प्रकाशन के लिए वित्तीय व्यवस्था करना तथा उचित समझने पर उनकी बिक्री की व्यवस्था करना या बेचना;

   vii. विश्वविद्यालय के कर्मियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के पद का सृजन या विलोपन के लिए अनुशंसा करना;

   viii. इस विधेयक के अन्तर्गत अपने कार्यों को पूरा करने या शक्तियों के प्रयोग के लिए यदि आवश्यक हो तो समितियों का गठन करना;

   ix. विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्ति करना;

   x. अपनी शक्तियों को विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, निदेशक, संकायाध्यक्ष कुलसचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या प्राधिकार या अपने द्वारा नियुक्त समिति को सौंपना;

   xi. वैसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा कार्यों को करना जो विधेयक या कानून के अंतर्गत इसे करने के लिए निर्देशित किया गया है और विश्वविद्यालय के उदेश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो ।

18. परिषद् के सदस्यों की रिक्ति एवं कार्यकाल की शर्तें:

(1) इस भाग में प्रदत्त अन्यथाओं को छोड़कर परिषद् के किसी नामित (मनोनीत) सदस्य का सेवा काल उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा;

(2) एक पदेन सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक वह अपने कार्यालय के पद पर बना रहता है, जिसकी वजह से वह परिषद् का सदस्य है;

(3) परिषद् के किसी सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, की रिक्ति, विहित अवधि की समाप्ति के पहले होने पर उसे धारा 16 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही भरा जाएगा एवं ऐसा सदस्य तब तक कार्य करेगा जितना समय उस सदस्य का शेष रहा था जिसकी जगह पर इसे नामित किया गया हो;

(4) सदस्य दूसरे सेवा काल के लिए पुनः नामित होने के योग्य होंगे;

(5) कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित पत्र के माध्यम से अपने कार्यालय से त्याग पत्र दे सकता है तथा उसका त्याग पत्र अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।

19. अकादमिक परिषद्:

(1) विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

i. कुलपति, जो अकादमिक परिषद के अध्यक्ष होंगे;

ii. प्रति कुलपति;

iii. राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत दो शिक्षाविद् या पेशेवर;

iv. राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत दो शिक्षाविद् या पेशेवर जो सैनिक, अर्द्धसैनिक बल या पुलिस के प्रशिक्षण या सेवा से जुड़े हों;

v. निदेशक, अनुसंधान एवं विकास;

vi. निदेशक;

vii. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय के एक प्रोफेसर चक्रानुक्रम के आधार पर जो कुलपति के द्वारा नामित होंगे ।

(2) कुल सचिव अकादमिक परिषद् के सचिव होंगे ।

(3) उपधारा- (1) के खण्ड (iii) तथा (iv) के अन्तर्गत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

20. अकादमिक परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ:

इस विधेयक और कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद् निम्नलिखित कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा-

i. विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण रखना तथा विश्वविद्यालय में निर्देशन, शिक्षा एवं मूल्यांकन के स्तर को बरकरार रखना एवं विकास के लिए जिम्मेवार होना;

ii. सामान्य अकादमिक हित के लिए अपनी ओर से या विश्वविद्यालय या बोर्ड के संकाय सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दे पर विचार करना तथा उस पर उचित कार्रवाई करना;

iii. शासी परिषद् को ऐसे कानूनों के लिए अनुशंसा करना जो विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यों एवं छात्रों में अनुशासन से जुड़ा हो तथा इस विधेयक के अनुकूल हो;

iv. कानूनों के द्वारा दिए गए सारे कार्यों को करना एवं शक्तियों का प्रयोग करना ।

21. वित्त समितिः

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

i. कुलपति जो समिति के अध्यक्ष होंगे;

ii. प्रति कुलपति;

iii. वित्त परामर्शी;

iv. निदेशक, अनुसंधान एवं विकास;

v. शासी परिषद् के दो सदस्य (इनमें एक सरकार का नामित व्यक्ति तथा दूसरा बोर्ड के द्वारा नामित होगा);

vi. निदेशक;

vii. एक प्राचार्य, चक्रानुक्रम के आधार पर बोर्ड के द्वारा नामित होगा ।

(2) कुलसचिव समिति के सचिव होंगे।

(3) नामित सदस्यों का कार्यकाल खण्ड (v) एवं (vi) के अन्तर्गत तीन वर्ष होगा ।

22. वित्त समिति के कार्य एवं शक्तियाँ:

इस विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्त समिति निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगी-

i. विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा बजट के आकलन की जाँच करना तथा शासी परिषद् को इस पर परामर्श देना;

ii. विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना;

iii. विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के मुद्दे पर परिषद् को अनुशंसा करना;

iv. परिषद् को उन सभी प्रस्तावों पर अनुशंसा करना जो कोष प्राप्ति या खर्च से संबंधित हों;

v. अधिशेष पूँजी के निवेश के लिए दिशा-निर्देश देना;

vi. परिषद् को उन सभी प्रस्तावों पर अनुशंसा करना जो ऐसे खर्च से जुड़े हों जिनका प्रावधान बजट में नहीं था या बजट में प्रावधानित रकम से ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता हो;

vii. वैसे प्रस्तावों की जाँच करना जो वेतनमान के पुनरीक्षण, उन्नयन या वैसे मुद्दे जो बजट में इसे परिषद् के समक्ष रखने से पहले सम्मिलित न हों;

viii. विधि द्वारा लाए गए या दिए गए सभी कार्यों को पूरा करना तथा शक्तियों का प्रयोग करना ।

23. निदेशक:

(1) संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति कुलपति के द्वारा परिषद् के अनुमोदन के साथ उन सेवा शर्तों पर किया जायगा जो निर्धारित किए गए हों ।

(2) निदेशक संस्थानों के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं दूसरे कार्यों को करने में कुलपति की सहायता करेंगे तथा कुलपति द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को पूरा करेंगे एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

24. संकायाध्यक्षः

(1) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से की जायेगी ।

(2) संकायाध्यक्ष कुलपति एवं संस्थानों या केन्द्रों के निदेशकों को विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं अन्य मुद्दों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करेंगे तथा ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कुलपति या निदेशक के द्वारा प्रदत्त हों ।

अध्याय- IV

वित्त

25. राज्य सरकार के द्वारा भुगतानः

राज्य सरकार विश्वविद्यालय को समय-समय पर इस प्रकार राशि प्रदान करेगी जो विधेयक के तहत् विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए कार्य एवं शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक हो।

26. विश्वविद्यालय का कोषः

(1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा जिसे विश्वविद्यालय कोष कहा जाएगा जिसके घटक होंगे-

i. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण, अनुदान या अंशदान,

ii. विश्वविद्यालय को सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें शुल्क या वसूली सम्मिलित हों,

iii. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण, उपहार, दान, वसीयत, धर्मदान एवं सभी प्राप्तियाँ जो कुछ भी हों,

iv. औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र के अन्तर्गत उद्योग जगत की सहभागिता से विश्वविद्यालय को प्राप्त धन जो विश्वविद्यालय संरचनात्मक संसाधनों, प्रायोजित पीठों एवं फैलोशिप को स्थापित करने के लिए हो;

v. विश्वविद्यालय को किसी भी दूसरे स्रोत या तरीके से प्राप्त धन;

vi. विश्वविद्यालय की सभी राशि ऐसे बैंक में जमा होंगी या निवेशित की जाएँगी जैसा बोर्ड वित्त समिति की अनुसंशा पर निर्णय करेगा;

vii. विश्वविद्यालय का कोष विश्वविद्यालय के खर्च के लिए प्रयुक्त होगा जिसमें विधेयक के अन्तर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों के निर्वहन पर किए गए खर्च सम्मिलित होंगे ।

27. लेखा एवं अंकेक्षणः

(1) विश्वविद्यालय उपयुक्त लेखा एवं दूसरे उपयोगी दस्तावेजों का रख- रखाव करेगा तथा लेखा का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें आय-व्यय लेखा और तूलन पत्र सम्मिलित होगा एवं इसे विहित तरीके से किया जायगा ।

(2) विश्वविद्यालय कानून के द्वारा निर्दिष्ट अपने वित्तीय, लेखा तथा अंकेक्षण कार्यों को करने एवं इस पर नियंत्रण रखने एवं आंतरिक जाँच के लिए एक उपयुक्त तंत्र को अपनाएगा ।

(3) विश्वविद्यालय के खाते का अंकेक्षण प्रतिवर्ष एक अंकेक्षक के द्वारा किया जायेगा जो 1949 के अधिकार पत्र प्राप्त लेखापाल विधेयक के द्वारा परिभाषित अधिकार पत्र प्राप्त होंगे, जिसकी नियुक्ति परिषद् के द्वारा की जायगी ।

(4) विश्वविद्यालय के खाते अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति या प्रतिष्ठान जो अधिकृत हो, से सत्यापन के बाद परिषद् के समक्ष पेश किया जायगा और परिषद् विश्वविद्यालय को ऐसा निर्देश जारी कर सकता है जो वह उचित समझता है तथा विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखा का अंकेक्षण एक आंतरिक अंकेक्षक के द्वारा किया जायगा जो एक अधिकार पत्र प्राप्त लेखापाल या अधिकार प्राप्त लेखापालों का प्रतिष्ठान होगा जो परिषद् के द्वारा नियुक्त होंगे एवं उनका दायित्व लेखा पुस्तिका का समयानुसार अंकेक्षण सुनिश्चित करना होगा तथा ऐसे सावधिक आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए रखा जाएगा ।

(6) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष में परिषद् द्वारा इसे निर्दिष्ट सभी कार्यों का विवरण होगा और विश्वविद्यालय इसे

परिषद् के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में समीक्षा या अनुमोदन के लिए दी गई तारीख को प्रस्तुत करेगा ।

(7) वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद् के संकल्प के साथ राज्य सरकार के पास प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा ।

28. पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधिः

(1) विश्वविद्यालय परिषद् की स्वीकृति से अधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए विहित शर्तों के अन्तर्गत पेंशन योजना, भविष्य निधि तथा बीमा की उचित व्यवस्था करेगा तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लाभ के उद्देश्य से संस्थाओं, कोषों तथा संघों की सहायता करेगा तथा उन्हें स्थापित करने में मदद भी करेगा ।

(2) जब ऐसी भविष्य निधि का गठन हो जाता है तो उस पर सरकारी भविष्यनिधि कोष के अनुरूप भविष्य निधि कानून 1925 के प्रावधान लागू होंगे ।

अध्याय 6

अनुपूरक प्रावधान

29. रिक्तियों के द्वारा विधेयक और कार्यवाही का अमान्य नहीं होनाः

शासी परिषद्, विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार या कोई समिति जो विनियम के द्वारा या विधेयक के अन्तर्गत गठित हो, का कार्य या कार्यवाही किसी रिक्ति की वजह से या विश्वविद्यालय की समिति, प्राधिकार या ऐसे बोर्ड के गठन में खामी रहने की स्थिति में भी अमान्य नहीं हो सकती ।

30. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों का प्रदत्तीकरणः

विश्वविद्यालय को शासी परिषद् की स्वीकृति पर डिग्री, डिप्लोमा देने तथा प्रमाण पत्रों को निर्गत करने तथा मानद उपाधि और दूसरी शैक्षिक उप्लब्धियों या खिताबों को प्रदान करने की शक्ति होगी ।

31. प्रतिवेदन एवं सूचनाः

विश्वविद्यालय राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. और अन्य वैधानिक प्रधिकारों को प्रतिवेदन, कथन या सूचना जैसा कि समय- समय पर जरूरी हो, को प्रदान करेगा ।

32. अधिकारियों और कर्मचारी लोक सेवक होंगेः

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी एक लोक सेवक समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस भाग के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा कुछ खास समय या कार्य के लिए नियुक्त होगा या विश्वविद्यालय के कोष से मानदेय या भत्ता प्राप्त करेगा, को विश्वविद्यालय का कर्मचारी या अधिकारी समझा जाएगा जब तक वह अपनी नियुक्ति से संबंधित कार्य करेगा ।

33. विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की समाप्ति, पदच्युतिकरण, अवनति या बरखास्तगीः

(1) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, अधिकारी या कर्मी को उसके पद से हटाया या बरखास्त या पदावनत नहीं किया जाएगा बशर्ते कि उनके खिलाफ लगे गुनाहों की सूचना उन्हें दी जाती है तथा जाँच के क्रम में अपनी बेगुनाही को साबित करने का उचित मौका दिया जाता है ।

(2) सेवा की समाप्ति, बरखास्तगी या उप धारा-(i) के तहत् पदावनति के आदेश के खिलाफ आदेश के निर्गत होने के 90 दिनों के भीतर कुलपति को अपील किया जा सकता है तथा कुलपति का निर्णय इस तरह की अपील में आखिरी होगा ।

34. राज्य सरकार की निर्देश देने संबंधी शक्तियाँ:

राज्य सरकार को समय-समय पर दिशा निर्देश देने की शक्ति, इस विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो, होगी तथा विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देशों का पालन करने की बाध्यता होगी ।

35. विनियम बनाने की शक्तिः

(1) इस विधेयक के प्रावधानों के तहत शासी परिषद् को प्रदत शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यों का प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी ।

(2) पूर्व प्रदत शक्तियों के प्रति दुराग्रह के बगैर, ऐसे विनियम निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे-

i. विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक बुलाना, परिषद् की पहली बैठक तथा बैठक के क्रियाकलाप या गणसंख्या (कोरम) के मुद्दे को छोड़कर ।

ii. कुलपति के द्वारा किए गए कार्य या प्रयोग की शक्तियाँ ।

iii. अधिकारियों की शक्ति एवं कर्त्तव्य, विश्वविद्यालय की समिति एवं दूसरे निकाय का गठन, प्राधिकारों के सदस्यों की वैधता एवं अवैधता, सदस्य का

कार्यकाल, सदस्यों को हटाना या नियुक्त करना, तथा इन मुद्दों से संबंधित बातें।

iv. परिषद् या इस विधेयक के तहत गठित किसी निकाय की शक्तियों तथा कर्त्तव्य के पालन से संबंधित कार्यप्रणाली ।

v. विद्यार्थियों का नामांकन तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने में मापदण्ड एवं कार्यप्रणाली ।

vi. विश्वविद्यालय में अनुशासन लागू करने की प्रक्रिया ।

vii. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का प्रबंधन ।

viii. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत डिग्री, उपाधि, उपलब्धि तथा इनका रद्दीकरण या वापस लेना इत्यादि ।

ix. परीक्षा के संचालन के साथ परीक्षकों की नियुक्ति तथा कार्यकाल ।

x. निदेशकों, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या समतुल्य शैक्षिक पदों, अधिकारियों या कर्मचारियों का आवश्यक योग्यताओं के साथ पदों के सृजन की अनुशंसा तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति ।

xi. विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले शुल्क तथा खर्च जो इसे पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, सुविधाएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए हों ।

xii. तौर- तरीके तथा शर्तें, जो बीमा, पेंशन और भविष्य निधि राशि के गठन के लिए होती हैं तथा ऐसी दूसरी योजनाएँ जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं शिक्षकों तथा अधिकारियों के हित के लिए हों ।

xiii. विश्वविद्यालय का अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क के लिए नियम एवं शर्तें ।

xiv. बजट आकलन की तैयारी तथा लेखा का रख-रखाव ।

xv. विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय के द्वारा समझौते या अनुबंध के क्रियान्वयन के तौर-तरीके ।

xvi. विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और वर्गीकरण ।

xvii. विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं शिक्षक, अन्य अधिकारी, निदेशक अनुसंधान एवं विकास के नियुक्ति की अवधि और नियम तथा शर्तें, वेतन तथा भत्ते, अनुबंधिक सेवाएँ, अनुशासन के नियम ।

xviii. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तें ।

xix. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं शिक्षकों, निदेशकों तथा निदेशक अनुसंधान एवं विकास के कर्त्तव्य एवं शक्ति ।

xx. फेलोशिप, छात्रवृति, वजीफा (स्टाइपेंड), पदक तथा पुरस्कार से संबंधित नियम एवं शर्तें ।

xxi. शासी परिषद् के निर्णय तथा आदेशों का प्रमाणीकरण ।

xxii. छात्रावास से संबंधित मुद्दे और कर्मचारियों, शिक्षकों के आवास तथा अतिथि गृह अनुशासनात्मक नियंत्रण सहित ।

xxiii. वैसे सभी मुद्दे जो विधेयक के तहत विहित हों ।

36. प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति:

धारा 13 में निहित तथ्यों के बावजूद, प्रथम कुलसचिव राज्य सरकार के द्वारा विधेयक के प्रभाव में आने के बाद तीन साल के लिए उन शर्तों पर नियुक्त होगा जिसे सरकार उचित समझती है ।

37. अस्थायी प्रावधान:

इस विधेयक में निहित तथ्यों के बावजूद, कुलपति, परिषद् से स्वीकृति लेने के बाद तथा राशि की उपलब्धता की स्थिति में इस विधेयक के प्रावधानों में दिए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय का काम करेगा तथा विधेयक के प्रावधानों के तहत कुलपति किसी प्राधिकार के अस्तित्व में आने तक उस प्राधिकार की शक्तियों एवं कार्यों को करेगा ।

38. क्षतिपूर्तिः

इस विधेयक या इसके कानूनों के अन्तर्गत, इसकी शुद्ध निष्ठा के साथ, अनुपालन के क्रम में किए गए कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त परामर्शी, प्राधिकारों या अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य कोई व्यक्ति इन चीजों से संबंधित हो, से किसी प्रकार की न तो क्षतिपूर्ति की मांग की जायगी न ही मुकदमा, अभियोजन या दूसरी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी ।

39. कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की शक्तिः

(1) इस विधेयक के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के क्रम में यदि कुछ कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा प्रावधान करेगी जो इस विधेयक के प्रावधानों से तारतम्य रखते हुए कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होंगे ।

(2) इस भाग के अन्तर्गत किए गए प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे ।

***

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य में वर्त्तमान में पॉच सरकारी विश्वविद्यालय एवं चार निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं । इन सभी विश्वविद्यालयों में सभी तरह के शिक्षण का कार्य होता है, किन्तु सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य नहीं होता है, जिसकी वजह से राज्य के छात्र–छात्राओं को सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित दक्षता प्रदान करने में कठिनाई महसूस हो रही है । राज्य के युवा वर्ग के सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण में दक्ष बनाने तथा डिप्लोमा/डिग्री उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इससे छात्र–छात्राओं को राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों में रोजगार पाने में सहुलियत होगी ।

चूंकि पठन–पाठन अकादमिक सत्र 2016–17 से शुरू करने का निर्णय लिया गया, अतः राज्यपाल द्वारा झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 जारी किया गया ।

यह बिल उपरोक्त वर्णित अध्यादेश का स्थान लेगा ।

डॉ० नीरा यादव,

भार–साधक सदस्य ।

वित्तीय संलेख

राज्य के युवा वर्ग के सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण में दक्ष बनाने तथा डिप्लोमा/डिग्री उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे छात्र–छात्राओं को राज्य के पुलिस, केन्द्रीय पुलिस एवं सेना तथा निजी सुरक्षा संगठनों में रोजगार पाने में सहुलियत होगी । इस हेतु झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, विधेयक, 2016 प्रख्यापित किया गया है ।

इस कदम से राज्य की संचित निधि पर व्यय भार पड़ेगा । मंत्रिपरिषद् की आवश्यक स्वीकृति प्रस्ताव में प्राप्त की गयी है ।

डॉ० नीरा यादव,

भार–साधक सदस्य ।

विनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

27 जून, 2016

संख्या-2/राज.स्था. ASO (E.L.)-26/16-4168-- राय श्री सुदीन प्रसाद मंडल, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व), धनबाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 248 के आलोक में दिनांक 7 दिसंबर, 2015 से दिनांक 31 दिसंबर, 2015 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृत प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 26–50 ।